सोशल मीडिया

सेल

जनपद

आजमगढ

पत्र संख्याः- 482/प्रेसनोट/2020

दिनांकः- 07 नवम्बर 2020

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/जुआ खेलने/मादक पदार्थ से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के अभियान के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न थानों द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों का विवरण निम्न है-

थाना सिधारी

जुआ खेलते समय ताश के पत्ते व 3085 रूपये के साथ छह अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 06.11.2020 को उ0िन0 श्री बंशराज सिंह मय हमराहीगण के विश्वकर्मा तिराहे पर मौजूद थे कि उसी समय मुखबिर ने सूचना दिये कि नरौली में दीपक चौहान के मकान में बने कमरे के अन्दर जीत हार का बाजी लगा कर जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के यहा से सर्च वारण्ट प्राप्त करके उ0िन0 वंशराज मय हमराही के साथ लेकर नरौली में दीपक चौहान के मकान पर पहुंचे। मकान के अन्दर जाकर देखा गया तो एक कमरे में फूस फूसाहट की आवाज आ रही थी कि उ0िन0 कमरे के खिडकी के सुराक से अन्दर देखा को कुछ लोग गमछा बिछा कर गमछा पर कुछ रूपये व अपने अपने हाथ में तास के पत्ते से जीत हार की बाजी लगा कर सट्टे जैसा जूआ खेल रहे है। पुलिस बल द्वारा एक वारगी कमरे में घूस कर सट्टा जैसे जूआ खेल रहे ह्याकियों को समय 15.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार ब्यक्तियों से क्रमशः नाम पता पूछा गया तो 1. दीपक चौहान पुत्र हिरहर चौहान 2. बृजेश चौहान पुत्र गोविन्द चौहान 3.जितेन्द्र चौहान पुत्र दंगल चौहान 4. अरविन्द चौहान पुत्र अमरसिंह चौहान 5. करमवीर चौहान पुत्र हिरहर चौहान 6. मनोज चौहान पुत्र केशव चौहान नि0 गण ग्राम नरौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ बताये। मौके से अभियुक्तगण के पास से तास के 52 पत्ते तथा 3085 रुपये बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 196/20 धारा 3/4 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पुछताछ में बताया कि हमसभी लोग सट्टे जैसा जीत हार की बाजी लगा कर जूआ खेल रहे थे कि आप लोग पकड लिये है।

थाना-बरदह

अवैध तमंचा एवं कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 06.11.2020 को उ0नि0 संजय सिंह मय हमराह का0 अनुपम सिंह , का0 छडू साहनी , का0 रानू सैनी द्वारा मुडहर गाँव जाने वाले तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि उसी दौरान मुखबिर ने सूचना दिया कि एक व्यक्ति सरायमोहन आरा मशीन के पास खड़ा है जिसके पास अवैध हथियार है | सूचना पर पुलिस बल द्वारा मुखबीर के बताए हुए स्थान पर जैसे ही पहुंचे कि वहां खड़ा व्यक्ति पुलिस बल को देखकर भागने लगा जिसको पुलिस बल द्वारा घेर कर आवश्यक बल प्रयोग कर समय 17:00 बजे गिरफ्तार किया गया | नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सभाजीत सरोज पुत्र कन्हैया सरोज निवासी ग्राम सरायमोहन थाना बरदह जिला आजमगढ़ बताया | मौके पर तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा देशी 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 272/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया जा रहा है |

थाना- जीयनपुर 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 22.09.2020 को वादी श्री रविन्द्र नाथ यादव पुत्र रामसरन यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा वादी को गाली गलौज देना जान माल की धमकी देना तथा मां बहन की लज्जा भंग करने हेतु कहने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिए थे प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 292/2020 धारा 504/506/509 IPC व 67 IT Act पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 07.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी मय हमराह हमराह का0 आदित्य पाण्डेय , का0 शैलेन्द्र कुमार, म0आ0 नीलम देवी, म0आ0 बन्दना गौतम के थाना हाजा से खाना होकर कस्बा जीयनपुर में मामूर था कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 292/2020 धारा 504/506/509 भादिव व 67 IT एक्ट से सम्बन्धित नामित/वाँछित अभियुक्त विनोद यादव पुत्र रामानन्द यादव निवासी शेखमौली करतारपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है। को समय करीब 05.00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>थाना- जीयनपुर</u> 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 06.11.2020 को उ0िन0 सुरेन्द्र प्रसाद यादव मय हमराह का0 शुभम यादव , म0आ0 पूजा यादव, म0का0 साधना तोमर के थाना हाजा से रवाना होकर लाटघाट कस्बे मे मामूर था कि लाटघाट से अमिला रोड़ तिराहे पर देखा कि एक नवयुवक खड़ा है तथा आने जाने वाली लड़कियो व महिलाओ को देखकर अश्लील शब्दो का प्रयोग कर रहा था कि अभियुक्तगण 1. कृष्ण मुरारी यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी खान्तिया, थाना घोसी, जनपद मऊ को समय 14.55 बजे गिरफ्तार किया गया।

थाना-बिलरियागंज गोमांश के साथ तीन अभियुक्त गिरफ्तार

थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह थाना बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा मय फोर्स के महा अभियान के तहत भ्रमणशील रहते हुए गोवंश की सूचना पर दिनांक 07.11.2020 को समय 02.30 बजे रात को ग्राम छिछोरी थाना क्षेत्र बिलरियागंज आजमगढ़ में फौवाद के हाते पर छापा मारा गया तो अभियुक्त गण द्वारा लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। गोली थानाध्यक्ष बिलरियागंज के कनपटी के पास से होकर निकल गयी। पुलिस पार्टी द्वारा हिकमत अमली से हाते को घेरकर दिवश दिया गया तो अभि0 फौवाद के हाते व मकान से 10 कुन्टल 42 किलो 600 ग्राम गोमांश , तीन गाय की खाल, सिंघ, कटे हुए गायों के अवशेष, 5 अदद चापड़ लोहे की, एक अदद तमंचा एक अदद खोखा कारतूस, एक अदद जिन्दा कारतूस व दो अदद मोटर साइकिल बरामद हुआ। अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर उनके अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा हैं तथा उसके फरार साथियों की सघन तलाश की जा रही हैं।

<u>थाना अहरौला</u> जान माल की धमकी देने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 07-11-2020 को उ0िन0 मय हमराह का0 महेन्द्र कुमार सरोज के देखभाल क्षेत्र जांच पेण्डिंग एहकमात तलाश वाछित अपराधी करता हुआ फूलविरया बाजार में मौजूद था कि दिनाँक 5/11/2020 को पीड़िता गगन कुमारी पुत्री रवीन्द्र सा0 अतमऊवा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ मय हमराह खुद के पिता रवीन्द्र व माता उर्मिला व जीजा धर्मेंद्र के उपस्थित थाना आकर एक किता प्रा0पत्र हिन्दी लिखित बादस्तखती खुद का बताते हुए बाबत अभियुक्त द्वारा 5-6 माह पूर्व से खुद के साथ छेड़खानी करते हुये दिनांक 01/09/2020 को ढेला मारने के दौरान शोर करने पर गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटने व दिनांक 26/10/2020 को जान माल की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीयपर मु0अ0सं0172/2020 धारा323/336/354/504/506 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ था। जिसके सम्बन्ध मे मुखबिर खास उसी दौरान आकर बताया कि साहब आपके मु0अ0सं0172/2020 धारा323/336/354/504/506 भा0द0वि0 सम्बन्धित बाल अपचारी गुलशन पुत्र हरेन्द्र सा0 अतमऊवा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़बरामदपुर पुलिया पर खड़ा है। कहीं बाहर जाने के फिराक में है इस सूचना पर विश्वास कर उ0िन0 मय हमराह व मय मुखबीर खास के फूलविरया बाजार से रवाना होकर बरामदपुर पुलिया पहुँचा तो मुखबीर खास ने दूर से ही इशारा कर बाताया कि साहब वही वह लड़का है जो आपके उपरोक्त मुकदमे में वांक्षित है कि आगे बढ़ कि हम पुलिस वालो को देखकर भागने का असफल प्रयास किया किन्तु हम पुलिस वालो द्वारा हिकमत अमली कुछ ही दूरी पर दौड़ाकर बाल अपचारी गुलशन उपरोक्त को पकड़ लिया अतः कारण गिरफ्तारी बताकर आज दिनाँक 07/11/2020 को समय 09.50 बजे सुबह बरामदपुर पुलिया से वाजाफ्ता हिरासत पुलिस लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

थाना सरायमीर

अबैध 13 पुङिया हेरोइन के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 06.11.2020 को मुखबीर की सूचना पर अभियुक्त महेन्द्र सोनकर पुत्र स्व0 सूर्यबली सोनकर ग्राम पूनापोखर थाना सरायमीर आजमगढ को उसके घर से गिरफ्तार कर कब्जे से 13 पुड़िया अबैध हेरोइन बरामद किया गया। मुखबीर की सूचना

परपूना पोखर अभियुक्त को उसके घर से दिनाँक 06.11.20 को समय 15.00 बजे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 13 पुड़िया अबैध हेरोइन बरामद किया गया।